न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्र. क्रं. .....

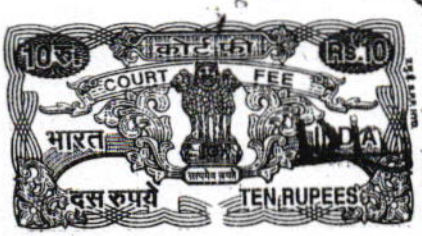

निग - 2147 - II - 16

श्रीमती सोनिया पत्नी रामा अवतार चर्मकार, पेशा घरू कार्य, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम बेलहा, थाना कोतवाली सीधी, तहसील सिहावल वर्तमान बहरी, जिला सीधी (म0प्र0)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

शिवधारी कोल तनय सिरूआ उर्फ भीरू कोल, निवासी ग्राम बेलहा, थाना कोतवाली सीधी, तहसील सिहावल वर्तमान बहरी, जिला सीधी (म0प्र0)

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 11–05–16 जो निगरानी प्रकरण क्रमांक 180/निगरानी/2011–12 में अपर कलेक्टर सीधी द्वारा पारित किया गया है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–05–16 विधि एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2. यह कि आवेदिका श्रीमती सोनिया विवादित भूमि खसरा नं. 867, 871, 872, 875, 1059 रकवा क्रमशः 0.06 हे., 0.09 हे., 0.09 हे., 0.12 हे. व 0.38 हे.. स्थित ग्राम बेलहा के बावत् राजस्व प्रकरण क्रमांक 27अ–74/02–03 निर्णय दिनांक 03–12–2002 के जरिये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2147–दो/2016 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, सीधी के प्र0क्र0 180/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11.05.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 11.05.16 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । प्रकरण में उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को देखते हुये यह पाया जाता है कि उपबन्दोबस्त अधिकारी, सीधी के प्रकरण क्रमांक 116/अ–1/98–99 में पारित आदेश दिनांक 06.12.98 की छायाप्रकित प्रकरण में संलग्न है, जिसमें साबिक आराजी नं0 723/ 458 हाल आराजी नें0 867/0.06, 871/0.09, 875/0.12, 1059/0.38 पर आवेदिका को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया	

गया है, जिसकी इतलयाबी तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 27/अ–74/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 31.12.02 द्वारा की गई। आदेश की छायाप्रति संलग्न है, जबकि प्रकरण में संलग्न खसरा नंकल वर्ष 1974–75 से 1977–78 तक आराजी खसरा क्रमांक 723 रकबा 0.09 डिस0 म0प्र0 शासन के नाम अंकित है । इसी तरह अनावेदक द्वारा तहसीलदार बहरी के प्रकरण क्रमांक 50/अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2012 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें तहसीलदार द्वारा आदेशित किया गया है कि उप बन्दोबस्त अधिकारी के प्र0क्र0 116/अ–1/98–99 आदेश दिनांक 06.12.98 द्वारा वादग्रस्त आराजी का भूमिस्वामी अधिकार आवेदिका के नाम स्वीकार किया गया है जिसकी इतलयाबी प्र0क्र0 27/अ–74/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2002 द्वारा की गई है । मूल प्रकरण क्रमांक 116/अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 06.10.98 के अवलोकन हेतु अभिलेखागार सीधी से चाहा गया, तलाश किये जाने पर उक्त प्रकरण रजिस्टर में दर्ज होना नहीं पाया गया। इन्हीं आधारों पर तहसीलदार द्वारा बादग्रस्त भूमियॉू आवेदिका के बजाय म0प्र0 शासन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर के न्यायालय द्वारा भी उक्त प्रकरण की मांग किये जाने पर प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार सीधी द्वारा कार्यालयीन पर क्रमांक 91/राजस्व अभि./2013 दिनांक 01.05.2013 द्वारा लेख किया गया है कि बन्दोबस्त से जमा रजिस्टर में प्र0क्र0 116/अ–1/98–99 आदेश दिनांक 06.12.98 पर पक्षकार श्यामलाल पिता बालगोविन्द

वगैरह सा0 डोल तहसील सिहावल विरूद्ध म0प्र0 शासन अंकित है । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण क्रमांक 116/अ–1/98–99 दायरा पंजी में आवेदिका के नाम अंकित नहीं है । आवेदिका ने फर्जी व बनावटी तथ्यों पर प्र0क्र0 116/अ–1/98–99 पारित आदेश दिनांक 06.12.98 की प्रति तैयार कर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त किया था, जो अस्तित्वहीन एवं शून्यवत है, जिसे तहसीलदार बहरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2012 द्वारा वादग्रस्त भूमियां म0प्र0 शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जा चुका है । चूँकि अनावेदक द्वारा उप बन्दोबस्त अधिकारी, सीधी के प्रकरण क्रमांक 116/अ–1/98–99 पारित आदेश दिनांक 06.12.98 के विरूद्ध निगरानी की गई है जो आवेदिका के नाम दायरा पंजी में दर्ज न होने से तथाकथित आदेश की अवैधानिकता प्रमाणित नहीं है, जिससे तथाकथित आदेश अस्तित्वहीन एवं शून्यवत होने से उसके विरूद्ध निगरानी करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर अपर कलेक्टर, सीधी ने जो आदेश पारित किया है, उससे मैं सहमत हूँ।

4/ अतः आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य